





## डोंबिवली में रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद भगवत कथा का आयोजन

डोंबिवली। हिन्दी भाषी जनता परिषद के सौन्यन से वैदिक भागवत सेवा समिति द्वारा रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद भगवत ज्ञान कथा का आयोजन विगत 5 फरवरी से डोंबिवली के दावडी प्रभाग में चल रहा है। कथाकार पंडित श्रीधर शास्त्री महाराज जी अपने मुख्यविद से श्रीमद्भगवत कथा याख्यान कर रहे हैं।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में बाल, युवा, महिला व वृद्ध लोगों की संख्या देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानस त्रिवर्णी का यहाँ प्र प्रकट्य हुआ है। कायाध्यक्ष दयानंद भारद्वाज, अध्यक्ष अयोविक्रम सिंग, महामारी बनव तिवारी, सहमंत्री सशिकान्त सिंह, कोशाध्यक्ष सतनन्द प्रजापती, व सुनील गुरु उनकी पुरी टीम पुरे तन मन से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। यादवेंद्र विश्वनाथ दुबे (सागर) कथा में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सकारा कर रहे हैं। आयोजक समिति के प्रमुख डॉ आर डी गौतम ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह पूर्वक निवेदन किया है कि सभी लोग इस कथा का रसायन करके अपने जीवन को धन्य करे विशेष रूप हिन्दी भाषी जनता परिषद के अध्यक्ष पंडित विश्वनाथ दुबे, शोभनाथ मिश्र, मनोज तिवारी, विनोय पांडेय, नंदलाल दुबे, विरेन्द्र तिवारी आदि उपस्थित रहकर कथा श्रवण किए।

## मशहूर लेखक, निर्देशक एवं अभिनेता नियाज खान का निधन

मुंबई। फिल्मों के मशहूर लेखक, निर्देशक एवं अभिनेता नियाज खान का निधन विवाहर ९ फरवरी को हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों से जननाम बैरी भूले हमारे, गंगा किनारे मारा गांव, हमका माफी देई द व नदी के लहरिया बोले फिल्मों की कहानी लिखा एवं अभिनय भी किया। उनका फिल्म माटी प्रीत जगावेले की शृंगंग जल्द ही शुरू होने वाली थी।

इस दुखद घटी में नियाज विवर्न सिंह एवं इस्माइल भाई साथ रहे। इसके साथ ही कई भोजपुरी एवं हिन्दी फिल्म कलाकारों ने उपस्थित दर्जी की। साथ ही कलाकार हरीश हराया, मनोज तिवारी, कुनाल सिंह, विनोद तिवारी, मनोज पाण्डेय, आलोक राय व राजपाल सिंह ने दुर्ख

## भिवंडी में सोने और चांदी के आभूषणों की हुई चोरी

भिवंडी। शांतीनगर पुलिस स्टेशन में फारियादी देवआनन्द रामबवृक्ष गोड़े में बताया कि उनके घर में चोरी हुई। अज्ञात चोर ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी से ₹४,५०० कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भा. न्या. सहिता की धारा ३०५ के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।

## महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मनसे

### प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्णय सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने बताया कि उनके घर में चोरी हुई। अज्ञात चोर ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी से ₹४,५०० कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भा. न्या. सहिता की धारा ३०५ के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।

## महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मनसे

### प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्णय सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड ने बताया कि उनके घर में चोरी हुई। अज्ञात चोर ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी से ₹४,५०० कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए।

पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ भा. न्या. सहिता की धारा ३०५ के तहत केस दर्ज किया है और पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है।

## महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने मनसे

### प्रमुख राज ठाकरे से की मुलाकात

मुंबई। भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल पर करोड़े रुपये भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इससे संचालक मंडल के

प्रदायकरियों में हड्डकप मचा रुहा है।

उक्त नोटिस अवधि भूमि लेनदेन के आरोप में राज्य सरकार के वस्त्रोदय प्रादेशिक उप आयुक्त कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद विभाग ने संचालक मंडल का कार्यालय बाजारों नोटिस जारी करके जबाब दाया है। १९९८ में पंजिकर की गई भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यालय कार्यालय का संचालक मंडल का कार्यालय २६ फरवरी २०१५ से पांच वर्षों के लिए था। जिसकी अवधि २५फरवरी २०२० को समाप्त हो गया लेकिन अवधि खत्म होने के बावजूद, संचालक मंडल ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति की खरीद-बिक्री और विकास समझौते किए। (पहली) भिनार और सारदे में ८०,५०० वर्ग मीटर भूमि को एक निजी डेवलपर को गोदाम निर्माण के लिए कम कीमतों में सौंप दिया गया। (दुसरी) मौजे परिवली क्षेत्र में सर्वे ४१/४ की ३.८५ करोड़ रुपये की भूमि, जिसका क्रय अधिकार संचालक मंडल को नहीं था, फिर भी २१ जून २०२४ को खरीद ली गई। इन दोनों मामलों में संचालक मंडल पर कोटीयवाली (कई करोड़े) रुपये के भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों की अनदेखी के आरोप लगा एग है।

## भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी को राज्य सरकार का नोटिस

भिवंडी। भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल पर करोड़े रुपये भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इससे संचालक मंडल के

प्रदायकरियों में हड्डकप मचा रुहा है।

उक्त नोटिस अवधि भूमि लेनदेन के आरोप में राज्य सरकार के वस्त्रोदय प्रादेशिक उप आयुक्त कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद विभाग ने संचालक मंडल का कार्यालय बाजारों नोटिस जारी करके जबाब दाया है। १९९८ में पंजिकर की गई भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यालय कार्यालय का संचालक मंडल का कार्यालय २६ फरवरी २०१५ से पांच वर्षों के लिए था। जिसकी अवधि २५फरवरी २०२० को समाप्त हो गया लेकिन अवधि खत्म होने के बावजूद, संचालक मंडल ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति की खरीद-बिक्री और विकास समझौते किए। (पहली) भिनार और सारदे में ८०,५०० वर्ग मीटर भूमि को एक निजी डेवलपर को गोदाम निर्माण के लिए कम कीमतों में सौंप दिया गया। (दुसरी) मौजे परिवली क्षेत्र में सर्वे ४१/४ की ३.८५ करोड़ रुपये की भूमि, जिसका क्रय अधिकार संचालक मंडल को नहीं था, फिर भी २१ जून २०२४ को खरीद ली गई। इन दोनों मामलों में संचालक मंडल पर कोटीयवाली (कई करोड़े) रुपये के भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों की अनदेखी के आरोप लगा एग है।

## भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल पर करोड़े रुपये भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राज्य सरकार के वस्त्रोदय प्रादेशिक उप आयुक्त कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद विभाग ने संचालक मंडल का कार्यालय बाजारों नोटिस जारी करके जबाब दाया है। १९९८ में पंजिकर की गई भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यालय कार्यालय का संचालक मंडल का कार्यालय २६ फरवरी २०१५ से पांच वर्षों के लिए था। जिसकी अवधि २५फरवरी २०२० को समाप्त हो गया लेकिन अवधि खत्म होने के बावजूद, संचालक मंडल ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति की खरीद-बिक्री और विकास समझौते किए। (पहली) भिनार और सारदे में ८०,५०० वर्ग मीटर भूमि को एक निजी डेवलपर को गोदाम निर्माण के लिए कम कीमतों में सौंप दिया गया। (दुसरी) मौजे परिवली क्षेत्र में सर्वे ४१/४ की ३.८५ करोड़ रुपये की भूमि, जिसका क्रय अधिकार संचालक मंडल को नहीं था, फिर भी २१ जून २०२४ को खरीद ली गई। इन दोनों मामलों में संचालक मंडल पर कोटीयवाली (कई करोड़े) रुपये के भ्रष्टाचार और सरकारी नियमों की अनदेखी के आरोप लगा एग है।

## भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल पर करोड़े रुपये भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राज्य सरकार के वस्त्रोदय प्रादेशिक उप आयुक्त कार्यालय को शिकायत मिलने के बाद विभाग ने संचालक मंडल का कार्यालय बाजारों नोटिस जारी करके जबाब दाया है। १९९८ में पंजिकर की गई भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यालय कार्यालय का संचालक मंडल का कार्यालय २६ फरवरी २०१५ से पांच वर्षों के लिए था। जिसकी अवधि २५फरवरी २०२० को समाप्त हो गया लेकिन अवधि खत्म होने के बावजूद, संचालक मंडल ने गैरकानूनी तरीके से संपत्ति की खरीद-बिक्री और विकास समझौते किए। (पहली) भिनार और सारदे में ८०,५०० वर्ग मीटर भूमि को एक निजी डेवलपर को गोदाम निर्माण के



